बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक :– परी० एवं शो० सं० 20/2016 पटना, दिनांक :–

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ सहित)
सभी कार्यपालक अभियंता, (राष्ट्रीय उच्च पथ सहित)
पथ निर्माण विभाग।

विषय :– **निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के संबंध में।**

महाशय,

प्रायः यह सूचनाएँ प्राप्त हो रही है कि प्रमंडल/क्षेत्रीय (अंचल) स्तर पर स्थापित गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें स्थापित रहने के बाबजूद भी उनके क्रियाशील अवस्था में नहीं रहने के कारण चल रहे कार्यों की गुणवत्ता जाँच MoRT&H द्वारा निर्धारित Frequency एवं interval में नहीं हो पा रही है। इसी प्रकार संवेदकों को एकरारनामानुसार कार्य स्थल पर गुण नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित कर कार्यों की गुणवत्ता जाँच करना है पर उनके भी प्रयोगशाला के क्रियाशील नहीं रहने से गुणवत्ता जाँच प्रभावित हो रहा है। फलस्वरूप कार्यों की गुणवत्ता में ह्रास तथा कार्यों के Design life का भी प्रभावित होना स्वभाविक है। निर्माण के समय कार्यों के गुणवत्ता MoRT&H के विशिष्टियों एवं एकरारनामा के अनुरूप सुनिश्चित नहीं होने से Design life से पूर्व ही अर्थात् अल्प अवधि में पथों की क्षति होने से सरकारी राशि की बर्बादी, आम जनता को उस योजना का उचित लाभ न मिलने के साथ ही विभाग को भी Criticism के साथ–साथ बदनामी का सामना करना पड़ता है।

अतः कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये कार्यहित में निम्न निर्देश दिये जाते है :–

(1) कार्यपालक अभियंता प्रमंडल में अवस्थित गुण नियंत्रण प्रयोगशाला को क्रियाशील रखते हुये कार्यों की गुणवत्ता जाँच एकरारनामा एवं MoRT&H के विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित Interval& frequency के अनुसार कराना सुनिश्चित करेंगे तथा जाँच प्रतिवेदन की प्रति निदेशक, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान पटना को भी उपलब्ध करायेंगे।

(2) प्रमंडल में कार्यरत ऐसे संवेदक जिन्हें एकरारनामानुसार कार्य स्थल पर स्थल गुण नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित करना है वैसे संवेदक के कार्यस्थल पर गुण नियंत्रण प्रयोगशाला का स्थापना के साथ–साथ उसे क्रियाशील रखने तथा संवेदक द्वारा उनके प्रयोगशाला में किये गये जाँच प्रतिवेदन को भी नियमित रूप से निदेशक, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान, पटना को कार्यपालक अभियंता उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(3) प्रमंडल के अधीन कार्यरत गुण नियंत्रण इकाई के क्रियाकलापों एवं कार्यस्थल पर संवेदक के प्रयोगशाला को क्रियाशील रखने की पूर्ण जिम्मेवारी कार्यपालक अभियंता की होगी।

(4) अधीक्षण अभियंता भी अंचल स्तर पर स्थापित क्षेत्रीय प्रयोगशाला को आवश्यक उपकरण, रसायन एवं अन्य सामग्री से सुसज्जित कराते हुये उसे क्रियाशील अवस्था में रखेंगे तथा प्रमंडलों के कार्यों के स्थल निरीक्षण के क्रम में प्रयोगशाला के कार्यों में प्रयुक्त होनेवाले सामग्री एवं किये जा रहे कार्यों के नमूना संग्रह कर क्षेत्रीय प्रयोगशाला में इसकी जाँच करायेंगे तथा जाँच का फलाफल संबंधित प्रमंडल को अवगत कराते हुए यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो उसका निराकरण भी सुनिश्चित करेंगे।

(5) अधीक्षण अभियंता निरीक्षण के क्रम में अपने अधीन प्रमंडलों के अन्तर्गत कार्यरत संवेदकों के द्वारा कार्य स्थल पर स्थापित गुण नियंत्रण प्रयोगशाला का भी निरीक्षण करेंगे तथा स्थल प्रयोगशाला का क्रियाशील अवस्था में रखवाना भी सुनिश्चित करेंगे।

(6) अधीक्षण अभियंता, जिनके सीधे नियंत्रणाधीन अंचलीय गुण नियंत्रण प्रयोगशाला है, के क्रियाकलापों के लिये पूर्णतः जिम्मेवार होंगे तथा कार्यों में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु यथा आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे।

(7) प्रमंडल एवं अंचल के अधीन गुण नियंत्रण प्रयोगशाला के क्रियाकलापों का मासिक अनुश्रवण निदेशक, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान द्वारा किया जायेगा तथा समय–समय पर निदेशक, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान, पटना के द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) सम्प्रति ऑनलाईन मानिटरिंग की व्यवस्था नहीं है। अतः जब तक यह व्यवस्था मूर्तरूप नहीं लेती है कार्यपालक अभियंता की यह जिम्मेवारी होगी कि प्रमंडल के अधीन गुण नियंत्रण प्रयोगशाला एवं संवेदक द्वारा कार्यस्थल पर स्थापित स्थल प्रयोगशाला में गुणवत्ता जाँच के फ़लाफल का कार्यवार सार ई–मेल के द्वारा निदेशक, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान को EMail ID directorttrircd@gmail.com पर प्रेषित करेंगे।

विश्वासभाज

ह0/–

(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांक :– पटना दिनांक :–

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव/सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० सहित)/निदेशक, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0/–

(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांक :– 2828(S) पटना दिनांक :– 27/03/17

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता, (अनु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर प्रचारित करने हेतु सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

(अमृत लाल मीणा)
25.3.17